न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या – 13/2022

प्रार्थीगण –

1. अनकीदेवी पुत्री जेठाराम पत्नि भंवरराम निवासी खेराट।
2. धुडीदेवी पुत्र जेठाराम पत्नि ओमप्रकाश निवासी गडरिया।
3. नानुडी पुत्री जेठाराम पत्नि पप्पूराम निवासी खेराट।
4. नाबालिग कौशल्या पुत्री कानाराम
5. नाबालिग निर्मला पुत्री कानाराम
6. मनिषा पुत्री कानाराम

प्रार्थीगण सं. 4 ता 6 जरिये कुदरती पिता कानाराम पुत्र रेवन्तराम निवासी गडरिया।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. धापूदेवी पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी गडरिया तहसील जायल।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
3. उप पंजीयक डेह

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित : 1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी 1।

: : – निर्णय – : :

दिनांक: 30/12/2022

1– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत निवेदन कियया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जो स्वं. जेठाराम जी के वारिसान है। पक्षकारान के बडेर की भूमि मौजा जानेवा पश्चिम के ख.न. 120 रकबा 3.0918 हैक्टेयर ख.न. 120 रकबा 3.0918 हैक्टेयर व ख.न. 128 रकबा 10.1090 हैक्टेयर आई हुई है, जिनका अंतिम बंटवाडा नहीं हुआ है। खेताय का अंतिम बंटवाडा नहीं होने से अप्रार्थी सहखातेदारी की आड में अराजी भूमि को बैचान व खुर्दबुर्द करने की धमकिया दे रहा है। यदि बिना विभाजन बैचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा, मुकदमाबाजी बढेगी। ख.न. 121 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का बंट नहीं होते हुये भी ना ही कब्जा काश्त होते हुये भी खातेदारी मे नाम होने से खेत को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण अपने बंट के खेतो पर कभी स्वयं काश्त करते है तथा कभी बंट पर देकर काश्त करते है इसी प्रकार प्रार्थी भी अपने बंट की भूमि पर कभी स्वयं काश्त करता है तो कभी बंट वर देता है। अप्रार्थी सं. 1 का पति शराबी व्यक्ति है तथा आदत से लाचार व्यक्ति है जो सहखातेदारी में नाम से बैचान करने की एलानिया धमकी दे रहा है।

मौजा जानेवा पश्चिम का खेत ख.न. 120 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, ख.न. 121 रकबा 3.0918 हैक्टेयर व ख.न. 128 रकबा 10.1090 हैक्टेयर में अप्रार्थी का हिस्सा होने से खेतों का बैचान व खुर्दबुर्द करने की नियत से धमकी देने से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

विवादित भूमि का अभी तक अंतिम विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण कब्जा काश्त करते है इसलिय मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

अप्रार्थी सहखातेदारी की आड में विवादित भूमि को बैचान करने मे सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थी के पुश्तैनी भूमि होकर सहखातेदारी भूमि मौजा जानेवा पश्चिम के ख.न. 120 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, ख.न. 121 रकबा 3.0918 हैक्टेयर व ख.न. 128 रकबा 10.1090 हैक्टेयर भूमि का किसी प्रकार से बैचान/हस्तांतरण को रोकने तथा प्रार्थी को उसके हक बंट कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमियों से बेदखल नहीं करने बाबत साथ राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गोविन्दराम ढाका ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया। अप्रार्थी स. 2 व 3 के सम्मन बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है जो परफोर्मा पक्षकार है।

3– विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया प्रार्थी व अप्रार्थी बहने है। वादग्रस्त भूमिया पक्षकारान के पिता की जमीन है। जिसका अंतिम बंटवाडा नहीं हुआ है। अप्रार्थी धापुदवी रास्ते पर आई हुई जमीन को बैचान पर आमादा है। यदि अप्रार्थी अजनबी क्रेता को बैचान करने में सफल हो जाती है तो बेवजह दावा बढेगा। अप्रार्थी द्वारा पिता की सेवा भी नहीं की है। अंतरिम अस्थाई व्यादेश के तीना बिन्दू मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से अप्रार्थी को मुल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये व्यादेश पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित कथनो की पुनरावर्ति करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पुश्तैनी बडेर की व सहकब्जा सहखातेदारी की भूमि है जिसकी अंतिम बंटवाडा नहीं हुआ परंतु मौखिक बंटवाडा होकर प्रार्थीगण व अप्राथी काबिज काश्त हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किया है प्रार्थीगण व अप्रार्थी मौखिक बंटवाडा किया हुआ है तथा अपने अपने हक बंट की भूमि पर काश्त करते है तथा कभी बंट देते है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का जन्म से खातेदारी अधिकार रहा है तथा अपने हक बंट की भूमि पर काश्त करसण करती है। प्रार्थी के द्वारा मौखिक बंटवाडा होकर काश्त करसण करने का उल्लेख किया गया जिससे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थी के पक्ष मे है। तथा अपने हक बंट मे काश्त करसण से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में हैं तथा प्रार्थीगण अराजी भूमि मे सहखातेदार दर्ज होने से उनके अधिकार सुरक्षित होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। प्रार्थीगण स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थी को काश्त करसन नहीं करने दे रहे है तथा काश्त करसण नहीं करने हेतु धमका रहे है। अराजियात भूमि अप्रार्थी की बडेर की भूमि होकर सहखातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीया की खुद की सेवा करने वाला कोई नहीं हैं तथा अकेले काश्त नहीं कर सकने से बंट पर दे रखी हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढत व मिथ्या होने से काबिल खारिज होने प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी के विरूद्ध जारी अस्थाई अंतरिम व्यादेश को अपास्त फरमावें।

4–विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दलीलों एवं बहस पर मनन करने व पत्रावली में

संलग्न रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर प्रकरण हाजा में यह प्रतीत होता है कि आराजी भूमियां पक्षकारान की पुश्तैनी व बडेर की भूमिं है जो स्व जैठाराम के फोत के होने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई हैं। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी के सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य अंतिम बंटवारा नहीं हुआ परंतु प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने मौखिक बंटवाडा होकर अलग अलग अपने अपने हक बंट की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीया सहखातेदारदर्ज है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के तहत सममस्त खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा वह अपने हिस्से की भूमि पर काश्त व जोत सुधार कार्य व सरकारी सुविधाओ को प्राप्त करने की अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो वह अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगी जो की न्याय की मंशा के विपरित है। अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि अप्रार्थी जो कि रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाकर उसके हक अधिकारो से वंचित किया जाना न्यायालय उचित नहीं मानता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा आदेशिका दिनांक 15.02.2022 को जारी एक पक्षीय अंतरिम आदेश अपास्त किया जाता है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर

निर्णय आज दिनांक 30/12/22 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला–नागौर